अजमेर विकास प्राधिकरण,अजमेर

अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर की जिला स्तरीय भू–उपयोग परिवर्तन समिति की बैठक दिनांक 20.12.2021 का बैठक कार्यवाही विवरण :–

भू–उपयोग परिवर्तन समिति की 4/2021 वीं बैठक दिनांक 20.12.2021 को आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में उनके कक्ष में सांय 5.00 बजे आयोजित की गयी। बैठक में निम्नलिखित सदस्यगणों व अधिकारियों द्वारा भाग लिया गया :–

1. सचिव, श्री किशोर कुमार, अजमेर विकास प्राधिकरण
2. उपायुक्त उत्तर, श्री अशोक चौधरी, अजमेर विकास प्राधिकरण
3. निदेशक आयोजना, श्री पी.आर बेनीवाल, अजमेर विकास प्राधिकरण
4. निदेशक विधि, श्री अनिल गुप्ता, अजमेर विकास प्राधिकरण

सदस्य सचिव द्वारा समस्त सदस्यों को बैठक के एजेण्डा की प्रतियां उपलब्ध करवायी गयी। बैठक में अजमेर विकास प्राधिकरण को प्राप्त पत्रावलियों से संबंधित 13 एजेण्डा बिन्दुओं पर चर्चा कर समिति द्वारा निर्णय लिया गया जो कि निम्न प्रकार से है –

एजेण्डा संख्या : 1 (राजस्व ग्राम चौरसियावास)

विषय : राजस्व ग्राम चौरसियावास के खसरा संख्या 556 क्षेत्रफल 1888.46 व.ग. भूखण्ड का आवासीय से व्यवसायिक प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन हेतु आवेदक श्री मनोज शर्मा पुत्र श्री कन्हैयालाल शर्मा।

आवेदित भूखण्ड का प्राधिकरण द्वारा आवासीय पट्‌टा क्रमांक 1495 दिनांक 08.06.2010 को जारी है। पूर्व में जारी स्थल मानचित्र अनुसार भूखण्ड की गहराई 161 फीट है। प्रश्नगत भूखण्ड मास्टर डवलपमेंट प्लान एवं जोनल प्लान (जोन–2) की 100 फीट चौड़ी सड़क पर स्थित है। उक्त भूखण्ड मास्टर डवलपमेंट प्लान 2033 अजमेर रीजन एवं जोनल डवलपमेंट प्लान (जोन–2) 2033 अनुसार मिश्रित भू–उपयोग हेतु आरक्षित है। मास्टर प्लान के प्रावधान अनुसार मिश्रित भू–उपयोग में आवासीय, व्यवसायिक, संस्थागत आदि गतिविधियां अनुज्ञेय की गयी हैं। भवन विनियम–2020 के बिन्दु संख्या 6(i) के "प्रावधानुसार आवेदित भूमि की गहराई का 60 प्रतिशत या इससे अधिक व्यवसायिक/मिश्रित उपयोग के अंतर्गत आता है तथा भूखण्ड की शेष गहराई अन्य भू–उपयोग के अंतर्गत आती है ऐसी स्थिति में सम्पूर्ण आवेदित भूमि/भूखण्ड का उपयोग व्यवसायिक/मिश्रित अनुज्ञेय किया जा कर तदानुसार सम्पूर्ण भू–खण्ड का व्यवसायिक रूपान्तरण व अन्य शुल्क लेते हुए पट्‌टा जारी किया जा सकेगा" वर्णित है।

प्रश्नगत भूखण्ड कनिष्ठ अभियन्ता की मौका रिपोर्ट अनुसार चार दिवारी निर्मित है तथा चार दिवारी के अन्दर पुराना खण्डरनुमा निर्माण है तथा प्रार्थी द्वारा भवन निर्माण के सम्बन्ध में शपथ पत्र प्रस्तुत कर अनाधिकृत निर्माण हटा लेने एवं प्राधिकरण द्वारा भवन मानचित्र स्वीकृत करवाए जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है। विधि शाखा की रिपोर्ट अनुसार कोई वाद लम्बित नहीं है। प्रश्नगत भूमि के भू–उपयोग परिवर्तन हेतु जारी विज्ञप्ति के क्रम में पत्रावली अनुसार कोई आपत्ति प्राप्त नही हुई है।

निदेशक आयोजना
अजमेर विकास प्राधिकरण,
अजमेर

निर्णय :– समिति द्वारा प्रकरण में विचार विमर्श कर सर्वसहमति से यह निर्णय लिया गया कि आवेदित भूखण्ड का आवासीय से सामान्य व्यवसायिक प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन निम्नलिखित शर्तों पर अनुज्ञेय किया गया :

1. प्रश्नगत भूमि के सामने स्थित सड़क के मार्गाधिकार हेतु सड़क के मध्य से 50 फीट भूमि सड़क हेतु छोड़ते हुए शेष भूमि का भू–उपयोग परिवर्तन अनुमत किया जावेगा।
2. यह केवल मात्र आवेदित भूमि के भू–उपयोग परिवर्तन की स्वीकृति है, इस स्वीकृति को आवेदित भूमि के स्वामित्व के प्रमाण के रूप में नहीं माना जावेगा।
3. प्रश्नगत भूमि पर किसी भी प्रकार के निर्माण से पूर्व भवन विनियम 2020 अजमेर रीजन में निर्धारित मानदण्डों अनुसार निर्माण स्वीकृति प्राप्त की जानी होगी।
4. प्रार्थी द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि अनाधिकृत निर्माण हटा लिया जायेगा। उक्त अनाधिकृत निर्माण हटाये जाने की शर्त पर यह अनुमति दी जाती है।

एजेण्डा संख्या : 2 (पंचशील नगर योजना)

विषय : प्राधिकरण की पंचशील नगर योजना के भूखण्ड संख्या सी–10 क्षेत्रफल 405.0 व.मी. भूखण्ड का आवासीय से व्यवसायिक प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन हेतु आवेदक गणेशा इन्फ्राट्रेड प्रा.लि. जरिए डायरेक्टर श्री नरेश मदानी पुत्र श्री अशोक कुमार मदानी और श्रीमती ज्योति मदानी पत्नी श्री सतीश मदानी।

आवेदित भूखण्ड का प्राधिकरण द्वारा आवासीय पट्टा क्रमांक 6915 दिनांक 30.03.2002 को जारी है। पूर्व में जारी स्थल मानचित्र अनुसार भूखण्ड की गहराई 88.60 फीट है। प्रश्नगत भूखण्ड जोनल डवलपमेंट प्लान–2033 (जोन–2) व स्वीकृत योजना की 100 फीट चौड़ी सड़क पर स्थित है। उक्त भूखण्ड मास्टर डवलपमेंट प्लान 2033 अजमेर रीजन एवं जोनल डवलपमेंट प्लान (जोन–2) 2033 अनुसार मिश्रित भू–उपयोग हेतु आरक्षित है। मास्टर प्लान के प्रावधान अनुसार मिश्रित भू–उपयोग में आवासीय, व्यवसायिक, संस्थागत आदि गतिविधियां अनुज्ञेय की गयी हैं।

प्रश्नगत भूखण्ड पर कनिष्ठ अभियन्ता की मौका रिपोर्ट अनुसार निर्माण है तथा प्रार्थी द्वारा भवन निर्माण के सम्बन्ध में शपथ पत्र प्रस्तुत कर अनाधिकृत निर्माण हटा लेने एवं प्राधिकरण द्वारा भवन मानचित्र स्वीकृत करवाए जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है। विधि शाखा की रिपोर्ट अनुसार प्रश्नगत भूखण्ड पर कोई वाद लम्बित नहीं है। प्रश्नगत भूमि के भू–उपयोग परिवर्तन हेतु जारी विज्ञप्ति के क्रम में पत्रावली अनुसार कोई आपत्ति प्राप्त नही हुई है।

निर्णय :– समिति द्वारा प्रकरण में विचार विमर्श कर सर्वसहमति से यह निर्णय लिया गया कि आवेदित भूखण्ड का आवासीय से सामान्य व्यवसायिक प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन निम्नलिखित शर्तों पर अनुज्ञेय किया गया :

1. प्रश्नगत भूमि के सामने स्थित सड़क के मार्गाधिकार हेतु सड़क के मध्य से 50 फीट भूमि सड़क हेतु छोड़ते हुए शेष भूमि का भू–उपयोग परिवर्तन अनुमत किया जावेगा।

निदेशक आयोजना
अजमेर विकास प्राधिकरण,
अजमेर

2. यह केवल मात्र आवेदित भूमि के भू–उपयोग परिवर्तन की स्वीकृति है, इस स्वीकृति को आवेदित भूमि के स्वामित्व के प्रमाण के रूप में नहीं माना जावेगा।
3. प्रश्नगत भूमि पर किसी भी प्रकार के निर्माण से पूर्व भवन विनियम 2020 अजमेर रीजन में निर्धारित मानदण्डों अनुसार निर्माण स्वीकृति प्राप्त की जानी होगी।
4. प्रार्थी द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि अनाधिकृत निर्माण हटा लिया जायेगा। उक्त अनाधिकृत निर्माण हटाये जाने की शर्त पर यह अनुमति दी जाती है।

एजेण्डा संख्या : 3 (राजस्व ग्राम चौरसियावास)

विषय : राजस्व ग्राम चौरसियावास के खसरा संख्या 556 में स्थित भूखण्ड संख्या 14 व 14–A क्षेत्रफल 845.16 व.मी. भूखण्ड का आवासीय से व्यवसायिक प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन हेतु आवेदक श्रीमती राज गुप्ता पत्नी श्री अनिल गुप्ता एवं श्री महेश अग्रवाल पुत्र स्व. श्री राधेश्याम अग्रवाल।

आवेदित भूखण्ड संख्या 14 का प्राधिकरण द्वारा आवासीय पट्टा क्रमांक 763 दिनांक 11.09.2009 को जारी है एवं भूखण्ड संख्या 14–A का प्राधिकरण द्वारा आवासीय पट्टा क्रमांक 764 दिनांक 11.09.2009 को जारी है। आवेदित भूखण्ड का संयुक्तिकरण कर भूखण्ड संख्या 14 व 14–A कुल क्षेत्रफल 845.16 वर्गमीटर दिनांक 01.12.2021 को जारी है। प्रश्नगत भूखण्ड जोनल डवलपमेंट प्लान (जोन–2) की 100 फीट चौड़ी सड़क पर स्थित है। उक्त भूखण्ड जोनल डवलपमेंट प्लान (जोन–2) 2033 अनुसार मिश्रित भू–उपयोग हेतु आरक्षित है। जोनल प्लान के प्रावधान अनुसार मिश्रित भू–उपयोग में आवासीय, व्यवसायिक, संस्थागत आदि गतिविधियां अनुज्ञेय की गयी हैं। पूर्व में जारी स्थल मानचित्र अनुसार भूखण्ड की गहराई 159 फीट है। भवन विनियम–2020 के बिन्दु संख्या 6(i) के "प्रावधानुसार आवेदित भूमि की गहराई का 60 प्रतिशत या इससे अधिक व्यवसायिक/मिश्रित उपयोग के अंतर्गत आता है तथा भूखण्ड की शेष गहराई अन्य भू–उपयोग के अंतर्गत आती है ऐसी स्थिति में सम्पूर्ण आवेदित भूमि/भूखण्ड का उपयोग व्यवसायिक/मिश्रित अनुज्ञेय किया जा कर तदानुसार सम्पूर्ण भू–खण्ड का व्यवसायिक रूपान्तरण व अन्य शुल्क लेते हुए पट्टा जारी किया जा सकेगा" वर्णित है।

प्रश्नगत भूखण्ड पर कनिष्ठ अभियन्ता की मौका रिपोर्ट अनुसार भूखण्ड रिक्त है तथा विधि शाखा की रिपोर्ट अनुसार प्रश्नगत भूखण्ड पर कोई वाद लम्बित नहीं है। प्रश्नगत भूमि के भू–उपयोग परिवर्तन हेतु जारी विज्ञप्ति के क्रम में पत्रावली अनुसार कोई आपत्ति प्राप्त नही हुई है।

निर्णय :– समिति द्वारा प्रकरण में विचार विमर्श कर सर्वसहमति से यह निर्णय लिया गया कि आवेदित भूखण्ड का आवासीय से सामान्य व्यवसायिक प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन निम्नलिखित शर्तों पर अनुज्ञेय किया गया :

1. **प्रश्नगत भूमि के सामने स्थित सड़क के मार्गाधिकार हेतु सड़क के मध्य से 50 फीट भूमि सड़क हेतु छोड़ते हुए शेष भूमि का भू–उपयोग परिवर्तन अनुमत किया जावेगा।**

निदेशक आयोजना
अजमेर विकास प्राधिकरण,
अजमेर

2. यह केवल मात्र आवेदित भूमि के भू–उपयोग परिवर्तन की स्वीकृति है, इस स्वीकृति को आवेदित भूमि के स्वामित्व के प्रमाण के रूप में नहीं माना जावेगा।
3. प्रश्नगत भूमि पर किसी भी प्रकार के निर्माण से पूर्व भवन विनियम 2020 अजमेर रीजन में निर्धारित मानदण्डों अनुसार निर्माण स्वीकृति प्राप्त की जानी होगी।

<u>एजेण्डा संख्या : 4 (राजस्व ग्राम माकड़वाली)</u>

विषय : राजस्व ग्राम माकड़वाली के खसरा संख्या 410 में स्थित भूखण्ड संख्या 7 क्षेत्रफल 185.79 व.मी. भूखण्ड का आवासीय से व्यवसायिक प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन हेतु आवेदक श्री गुरमीत सिंह अरोड़ा पुत्र श्री मनमोहन सिंह जरिए श्री भूपेन्द्रपाल सिंह पुत्र श्री मनमोहन सिंह।

आवेदित भूखण्ड का प्राधिकरण द्वारा आवासीय पट्टा क्रमांक 3433 दिनांक 16.11.2014 को जारी है। पूर्व में जारी स्थल मानचित्र अनुसार भूखण्ड की गहराई 50 फीट है। प्रश्नगत भूखण्ड मास्टर डवलपमेंट प्लान की 120 फीट चौड़ी सड़क पर स्थित है। उक्त भूखण्ड मास्टर डवलपमेंट प्लान 2033 अनुसार मिश्रित भू–उपयोग हेतु आरक्षित है। मास्टर डवलपमेंट प्लान के प्रावधान अनुसार मिश्रित भू–उपयोग में आवासीय, व्यवसायिक, संस्थागत आदि गतिविधियां अनुज्ञेय की गयी हैं।

प्रश्नगत भूखण्ड पर कनिष्ठ अभियन्ता की मौका रिपोर्ट अनुसार भूखण्ड रिक्त है। विधि शाखा की रिपोर्ट अनुसार खसरा नं. 422 सहित खसरा नं. 410, 419, 421 व 423 आदि भूमियों पर रिहायशी प्रयोजनार्थ भूखण्डो का विभागीकरण किया जा कर, उपनियोजक अजमेर द्वारा दिनांक 29.04.1992 को अनुमोदित ले–आउट प्लान में दर्शाये गये रास्ते पर अतिक्रमण हटाने बाबत् वाद संख्या 94/18 उन्वान सुरेश शर्मा बनाम राज्य एवं अन्य न्यायालय श्रीमान सिविल न्यायाधीश, जिला अजमेर के समक्ष विचाराधीन है तथा स्थगन आदेश नहीं है। प्रश्नगत भूमि के भू–उपयोग परिवर्तन हेतु जारी विज्ञप्ति के क्रम में पत्रावली अनुसार कोई आपत्ति प्राप्त नही हुई है।

निर्णय :– समिति द्वारा प्रकरण में विचार विमर्श कर सर्वसहमति से यह निर्णय लिया गया कि आवेदित भूखण्ड का आवासीय से सामान्य व्यवसायिक प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन निम्नलिखित शर्तों पर अनुज्ञेय किया गया :

1. **प्रश्नगत भूमि के सामने स्थित सड़क के मार्गाधिकार हेतु सड़क के मध्य से 60 फीट भूमि सड़क हेतु छोड़ते हुए शेष भूमि का भू–उपयोग परिवर्तन अनुमत किया जावेगा।**
2. **यह केवल मात्र आवेदित भूमि के भू–उपयोग परिवर्तन की स्वीकृति है, इस स्वीकृति को आवेदित भूमि के स्वामित्व के प्रमाण के रूप में नहीं माना जावेगा।**
3. **प्रश्नगत भूमि पर किसी भी प्रकार के निर्माण से पूर्व भवन विनियम 2020 अजमेर रीजन में निर्धारित मानदण्डों अनुसार निर्माण स्वीकृति प्राप्त की जानी होगी।**

निदेशक आयोजना
अजमेर विकास प्राधिकरण,
अजमेर

अजमेर विकास प्राधिकरण,अजमेर

एजेण्डा संख्या : 5 (राजस्व ग्राम चौरसियावास)

विषय : राजस्व ग्राम चौरसियावास के खसरा संख्या 1638 में स्थित भूखण्ड क्षेत्रफल 620.00 व.ग. भूखण्ड का आवासीय से व्यवसायिक प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन हेतु आवेदक श्री सुल्तान अली पुत्र श्री शरीफ शाह।

आवेदित भूखण्ड का प्राधिकरण द्वारा आवासीय पट्टा क्रमांक 1160 दिनांक 26.05.2001 को जारी है। पूर्व में जारी स्थल मानचित्र अनुसार भूखण्ड की गहराई 140 फीट है। प्रश्नगत भूखण्ड मास्टर प्लान की 100 फीट चौड़ी सड़क पर स्थित है। उक्त भूखण्ड मास्टर डवलपमेंट प्लान 2033 अजमेर रीजन एवं जोनल डवलपमेंट प्लान (जोन–2) 2033 अनुसार मिश्रित भू–उपयोग हेतु आरक्षित है। मास्टर प्लान के प्रावधान अनुसार मिश्रित भू–उपयोग में आवासीय, व्यवसायिक, संस्थागत आदि गतिविधियां अनुज्ञेय की गयी हैं।

प्रश्नगत भूखण्ड पर कनिष्ठ अभियन्ता की मौका रिपोर्ट अनुसार निर्माण है तथा प्रार्थी द्वारा भवन निर्माण के सम्बन्ध में शपथ पत्र प्रस्तुत कर अनाधिकृत निर्माण हटा लेने एवं प्राधिकरण द्वारा भवन मानचित्र स्वीकृत करवाए जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है। विधि शाखा की रिपोर्ट अनुसार कोई वाद लम्बित नहीं है। प्रश्नगत भूमि के भू–उपयोग परिवर्तन हेतु जारी विज्ञप्ति के क्रम में पत्रावली अनुसार कोई आपत्ति प्राप्त नही हुई है।

निर्णय :– समिति द्वारा प्रकरण में विचार विमर्श कर सर्वसहमति से यह निर्णय लिया गया कि आवेदित भूखण्ड का आवासीय से सामान्य व्यवसायिक प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन निम्नलिखित शर्तों पर अनुज्ञेय किया गया :

1. **प्रश्नगत भूमि के सामने स्थित सड़क के मार्गाधिकार हेतु सड़क के मध्य से 50 फीट भूमि सड़क हेतु छोड़ते हुए शेष भूमि का भू–उपयोग परिवर्तन अनुमत किया जावेगा।**
2. **यह केवल मात्र आवेदित भूमि के भू–उपयोग परिवर्तन की स्वीकृति है, इस स्वीकृति को आवेदित भूमि के स्वामित्व के प्रमाण के रूप में नहीं माना जावेगा।**
3. **प्रश्नगत भूमि पर किसी भी प्रकार के निर्माण से पूर्व भवन विनियम 2020 अजमेर रीजन में निर्धारित मानदण्डों अनुसार निर्माण स्वीकृति प्राप्त की जानी होगी।**
4. **प्रार्थी द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि अनाधिकृत निर्माण हटा लिया जायेगा। उक्त अनाधिकृत निर्माण हटाये जाने की शर्त पर यह अनुमति दी जाती है।**

एजेण्डा संख्या : 6 (राजस्व ग्राम चौरसियावास)

विषय : राजस्व ग्राम चौरसियावास के खसरा संख्या 1632 में स्थित भूखण्ड क्षेत्रफल 525.01 व.ग. भूखण्ड का आवासीय से व्यवसायिक प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन हेतु आवेदक श्री नरेश कुमार पुत्र श्री अशोक कुमार

निदेशक आयोजना
अजमेर विकास प्राधिकरण,
अजमेर

अजमेर विकास प्राधिकरण,अजमेर

आवेदित भूखण्ड क्षेत्रफल 393.24 वर्गगज का प्राधिकरण द्वारा आवासीय पट्टा क्रमांक 3763 दिनांक 30.05.2013 को जारी है व भूखण्ड क्षेत्रफल 131.77 वर्गगज का प्राधिकरण द्वारा आवासीय पट्टा क्रमांक 914 दिनांक 28.03.2001 को जारी है। आवेदित भूखण्ड का संयुक्तिकरण कर कुल क्षेत्रफल 525.01 वर्गगज प्राधिकरण द्वारा दिनांक 12.12.2013 को जारी है। पूर्व में जारी स्थल मानचित्र अनुसार भूखण्ड की गहराई 82.25 फीट है। प्रश्नगत भूखण्ड जोनल प्लान (जोन–2) की 100 फीट चौड़ी सड़क पर स्थित है। उक्त भूखण्ड मास्टर डवलपमेंट प्लान 2033 अजमेर रीजन एवं जोनल डवलपमेंट प्लान (जोन–2) 2033 अनुसार मिश्रित भू–उपयोग हेतु आरक्षित है। मास्टर प्लान के प्रावधान अनुसार मिश्रित भू–उपयोग में आवासीय, व्यवसायिक, संस्थागत आदि गतिविधियां अनुज्ञेय की गयी हैं।

प्रश्नगत भूखण्ड कनिष्ठ अभियन्ता की मौका रिपोर्ट अनुसार आंशिक रूप से निर्मित है तथा प्रार्थी द्वारा भवन निर्माण के सम्बन्ध में शपथ पत्र प्रस्तुत कर अनाधिकृत निर्माण हटा लेने एवं प्राधिकरण द्वारा भवन मानचित्र स्वीकृत करवाए जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है। विधि शाखा की रिपोर्ट अनुसार न्यायालय श्रीमान सिविल न्यायाधीश क.ख. उत्तर अजमेर प्रकरण संख्या 64/2007 उनवान मुकेश अग्रवाल बनाम राकेश शर्मा व अन्य में ग्राम चौरसियावास के खसरा नम्बर 1632 एवं ग्राम चौरसियावास की सीमा से लगते हुए ग्राम थोक तेलियान के खसरा नंबर 2279, 2281 में स्थित अजमेर नगर परिषद संख्या 433–बी (33)1/1 जो की गली नं. 1 गांधी नगर, बलदेव नगर के सामने माकड़वाली रोड़ पर स्थित है, की पूर्व दिशा में स्थित सम्पति में प्रतिवादी सेटबैक में कोई निर्माण कार्य नहीं करने आम सड़क पर कोई निर्माण कार्य नहीं करने का अनुतोष चाहा गया है। प्रकरण में स्थगन आदेश जारी नहीं है। प्रश्नगत भूमि के भू–उपयोग परिवर्तन हेतु जारी विज्ञप्ति के क्रम में पत्रावली अनुसार कोई आपत्ति प्राप्त नही हुई है।

निर्णय :– समिति द्वारा प्रकरण में विचार विमर्श कर सर्वसहमति से यह निर्णय लिया गया कि आवेदित भूखण्ड का आवासीय से सामान्य व्यवसायिक प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन निम्नलिखित शर्तों पर अनुज्ञेय किया गया :

1. **प्रश्नगत भूमि के सामने स्थित सड़क के मार्गाधिकार हेतु सड़क के मध्य से 50 फीट भूमि सड़क हेतु छोड़ते हुए शेष भूमि का भू–उपयोग परिवर्तन अनुमत किया जावेगा।**
2. **यह केवल मात्र आवेदित भूमि के भू–उपयोग परिवर्तन की स्वीकृति है, इस स्वीकृति को आवेदित भूमि के स्वामित्व के प्रमाण के रूप में नहीं माना जावेगा।**
3. **प्रश्नगत भूमि पर किसी भी प्रकार के निर्माण से पूर्व भवन विनियम 2020 अजमेर रीजन में निर्धारित मानदण्डों अनुसार निर्माण स्वीकृति प्राप्त की जानी होगी।**
4. **प्रार्थी द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि अनाधिकृत निर्माण हटा लिया जायेगा। उक्त अनाधिकृत निर्माण हटाये जाने की शर्त पर यह अनुमति दी जाती है।**

<u>एजेण्डा संख्या : 7 (हरिभाऊ उपाध्याय नगर मुख्य)</u>

विषय : प्राधिकरण की हरिभाऊ उपाध्याय नगर (मुख्य) योजना के भूखण्ड संख्या ए–177–2 क्षेत्रफल 96.0 व.मी. भूखण्ड का आवासीय से व्यवसायिक प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन हेतु

निदेशक आयोजना
अजमेर विकास प्राधिकरण,
अजमेर

आवेदक श्री दीपक लालवानी पुत्र श्री छत्तुमल जी और श्रीमती कविता लालवानी पत्नी श्री दीपक लालवानी

आवेदित भूखण्ड का प्राधिकरण द्वारा आवासीय पट्टा क्रमांक 16996 दिनांक 23.05.2014 को जारी है। पूर्व में जारी स्थल मानचित्र अनुसार भूखण्ड की गहराई 52.50 फीट है। प्रश्नगत भूखण्ड मास्टर प्लान व स्वीकृत योजना की 120 फीट चौड़ी सड़क पर स्थित है। उक्त भूखण्ड मास्टर डवलपमेंट प्लान 2033 अजमेर रीजन एवं जोनल डवलपमेंट प्लान (जोन–1) 2033 अनुसार मिश्रित भू–उपयोग हेतु आरक्षित है। मास्टर प्लान के प्रावधान अनुसार मिश्रित भू–उपयोग में आवासीय, व्यवसायिक, संस्थागत आदि गतिविधियां अनुज्ञेय की गयी हैं।

प्रश्नगत भूखण्ड पर कनिष्ठ अभियन्ता की मौका रिपोर्ट अनुसार निर्माण है तथा प्रार्थी द्वारा भवन निर्माण के सम्बन्ध में शपथ पत्र प्रस्तुत कर अनाधिकृत निर्माण हटा लेने एवं प्राधिकरण द्वारा भवन मानचित्र स्वीकृत करवाए जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है। विधि शाखा की रिपोर्ट अनुसार प्रश्नगत भूखण्ड पर कोई वाद लम्बित नहीं है। प्रश्नगत भूमि के भू–उपयोग परिवर्तन हेतु जारी विज्ञप्ति के क्रम में पत्रावली अनुसार कोई आपत्ति प्राप्त नही हुई है।

निर्णय :– समिति द्वारा प्रकरण में विचार विमर्श कर सर्वसहमति से यह निर्णय लिया गया कि आवेदित भूखण्ड का आवासीय से सामान्य व्यवसायिक प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन निम्नलिखित शर्तों पर अनुज्ञेय किया गया :

1. **प्रश्नगत भूमि के सामने स्थित सड़क के मार्गाधिकार हेतु सड़क के मध्य से 60 फीट भूमि सड़क हेतु छोड़ते हुए शेष भूमि का भू–उपयोग परिवर्तन अनुमत किया जावेगा।**
2. **यह केवल मात्र आवेदित भूमि के भू–उपयोग परिवर्तन की स्वीकृति है, इस स्वीकृति को आवेदित भूमि के स्वामित्व के प्रमाण के रूप में नहीं माना जावेगा।**
3. **प्रश्नगत भूमि पर किसी भी प्रकार के निर्माण से पूर्व भवन विनियम 2020 अजमेर रीजन में निर्धारित मानदण्डों अनुसार निर्माण स्वीकृति प्राप्त की जानी होगी।**
4. **प्रार्थी द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि अनाधिकृत निर्माण हटा लिया जायेगा। उक्त अनाधिकृत निर्माण हटाये जाने की शर्त पर यह अनुमति दी जाती है।**

<u>एजेण्डा संख्या : 8 (हरिभाऊ उपाध्याय नगर मुख्य)</u>

विषय : प्राधिकरण की हरिभाऊ उपाध्याय नगर (मुख्य) योजना के भूखण्ड संख्या बी–136–ई क्षेत्रफल 324.50 व.मी. भूखण्ड का आवासीय से व्यवसायिक प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन हेतु आवेदक श्री श्री डॉ. मनोज कुमार पुत्र स्व. श्री पेरूमल हिरानी

आवेदित भूखण्ड का प्राधिकरण द्वारा आवासीय पट्टा क्रमांक 14619 दिनांक 13.01.2011 को जारी है। पूर्व में जारी स्थल मानचित्र अनुसार भूखण्ड की गहराई 57.40 फीट है। प्रश्नगत भूखण्ड मास्टर प्लान व स्वीकृत योजना की 120 फीट चौड़ी सड़क पर स्थित है। उक्त भूखण्ड मास्टर डवलपमेंट प्लान 2033 अजमेर रीजन एवं जोनल डवलपमेंट प्लान (जोन–1) 2033 अनुसार मिश्रित

निदेशक आयोजना
अजमेर विकास प्राधिकरण,
अजमेर

भू–उपयोग हेतु आरक्षित है। मास्टर प्लान के प्रावधान अनुसार मिश्रित भू–उपयोग में आवासीय, व्यवसायिक, संस्थागत आदि गतिविधियां अनुज्ञेय की गयी हैं।

प्रश्नगत भूखण्ड पर कनिष्ठ अभियन्ता की मौका रिपोर्ट अनुसार एक ईकाई निर्माण है तथा प्रार्थी द्वारा भवन निर्माण के सम्बन्ध में शपथ पत्र प्रस्तुत कर अनाधिकृत निर्माण हटा लेने एवं प्राधिकरण द्वारा भवन मानचित्र स्वीकृत करवाए जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है। विधि शाखा की रिपोर्ट अनुसार प्रश्नगत भूखण्ड पर कोई वाद लम्बित नहीं है। प्रश्नगत भूमि के भू–उपयोग परिवर्तन हेतु जारी विज्ञप्ति के क्रम में पत्रावली अनुसार कोई आपत्ति प्राप्त नही हुई है।

निर्णय :– समिति द्वारा प्रकरण में विचार विमर्श कर सर्वसहमति से यह निर्णय लिया गया कि आवेदित भूखण्ड का आवासीय से सामान्य व्यवसायिक प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन निम्नलिखित शर्तों पर अनुज्ञेय किया गया :

1. **प्रश्नगत भूमि के सामने स्थित सड़क के मार्गाधिकार हेतु सड़क के मध्य से 60 फीट भूमि सड़क हेतु छोड़ते हुए शेष भूमि का भू–उपयोग परिवर्तन अनुमत किया जावेगा।**
2. **यह केवल मात्र आवेदित भूमि के भू–उपयोग परिवर्तन की स्वीकृति है, इस स्वीकृति को आवेदित भूमि के स्वामित्व के प्रमाण के रूप में नहीं माना जावेगा।**
3. **प्रश्नगत भूमि पर किसी भी प्रकार के निर्माण से पूर्व भवन विनियम 2020 अजमेर रीजन में निर्धारित मानदण्डों अनुसार निर्माण स्वीकृति प्राप्त की जानी होगी।**
4. **प्रार्थी द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि अनाधिकृत निर्माण हटा लिया जायेगा। उक्त अनाधिकृत निर्माण हटाये जाने की शर्त पर यह अनुमति दी जाती है।**

एजेण्डा संख्या : 9 (हरिभाऊ उपाध्याय नगर मुख्य)

विषय : प्राधिकरण की हरिभाऊ उपाध्याय नगर (मुख्य) योजना के भूखण्ड संख्या बी–135–ई क्षेत्रफल 292.50 व.मी. भूखण्ड का आवासीय से व्यवसायिक प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन हेतु आवेदक श्री श्री डॉ. मनोज कुमार पुत्र स्व. श्री पेरूमल

आवेदित भूखण्ड का प्राधिकरण द्वारा आवासीय पट्टा दिनांक 12.01.2011 को जारी है। पूर्व में जारी स्थल मानचित्र अनुसार भूखण्ड की गहराई 51.70 फीट है। प्रश्नगत भूखण्ड मास्टर प्लान व स्वीकृत योजना की 120 फीट चौड़ी सड़क पर स्थित है। उक्त भूखण्ड मास्टर डवलपमेंट प्लान 2033 अजमेर रीजन एवं जोनल डवलपमेंट प्लान (जोन–1) 2033 अनुसार मिश्रित भू–उपयोग हेतु आरक्षित है। मास्टर प्लान के प्रावधान अनुसार मिश्रित भू–उपयोग में आवासीय, व्यवसायिक, संस्थागत आदि गतिविधियां अनुज्ञेय की गयी हैं।

प्रश्नगत भूखण्ड पर कनिष्ठ अभियन्ता की मौका रिपोर्ट अनुसार भूखण्ड रिक्त है। विधि शाखा की रिपोर्ट अनुसार प्रश्नगत भूखण्ड पर कोई वाद लम्बित नहीं है। प्रश्नगत भूमि के भू–उपयोग परिवर्तन हेतु जारी विज्ञप्ति के क्रम में पत्रावली अनुसार कोई आपत्ति प्राप्त नही हुई है।

निदेशक आयोजना
अजमेर विकास प्राधिकरण,
अजमेर

निर्णय :— समिति द्वारा प्रकरण में विचार विमर्श कर सर्वसहमति से यह निर्णय लिया गया कि आवेदित भूखण्ड का आवासीय से सामान्य व्यवसायिक प्रयोजनार्थ भू—उपयोग परिवर्तन निम्नलिखित शर्तों पर अनुज्ञेय किया गया :

1. प्रश्नगत भूमि के सामने स्थित सड़क के मार्गाधिकार हेतु सड़क के मध्य से 60 फीट भूमि सड़क हेतु छोड़ते हुए शेष भूमि का भू—उपयोग परिवर्तन अनुमत किया जावेगा।
2. यह केवल मात्र आवेदित भूमि के भू—उपयोग परिवर्तन की स्वीकृति है, इस स्वीकृति को आवेदित भूमि के स्वामित्व के प्रमाण के रूप में नहीं माना जावेगा।
3. प्रश्नगत भूमि पर किसी भी प्रकार के निर्माण से पूर्व भवन विनियम 2020 अजमेर रीजन में निर्धारित मानदण्डों अनुसार निर्माण स्वीकृति प्राप्त की जानी होगी।

<u>एजेण्डा संख्या : 10 (राजस्व ग्राम माकड़वाली)</u>

विषय : राजस्व ग्राम माकड़वाली के खसरा संख्या 406 में स्थित भूखण्ड संख्या 2 क्षेत्रफल 222.22 व.ग. भूखण्ड का आवासीय से व्यवसायिक प्रयोजनार्थ भू—उपयोग परिवर्तन हेतु आवेदक श्रीमती दीपा साध पत्नी श्री ईन्दर साध जरिए मुख्त्यारआम श्री कमल जोधानी पुत्र स्व. श्री चन्द्र जोधानी

आवेदित भूखण्ड का प्राधिकरण द्वारा आवासीय पट्टा दिनांक 24.12.1994 को जारी है। पूर्व में जारी स्थल मानचित्र अनुसार भूखण्ड की गहराई 60 फीट है। प्रश्नगत भूखण्ड जोनल प्लान (जोन—2) की 120 फीट चौड़ी सड़क पर स्थित है। उक्त भूखण्ड जोनल डवलपमेंट प्लान— 2033 अनुसार मिश्रित भू—उपयोग हेतु आरक्षित है। जोनल प्लान के प्रावधान अनुसार मिश्रित भू—उपयोग में आवासीय, व्यवसायिक, संस्थागत आदि गतिविधियां अनुज्ञेय की गयी हैं।

प्रश्नगत भूखण्ड पर कनिष्ठ अभियन्ता की मौका रिपोर्ट अनुसार आंशिक निर्माण है तथा प्रार्थी द्वारा भवन निर्माण के सम्बन्ध में शपथ पत्र प्रस्तुत कर अनाधिकृत निर्माण हटा लेने एवं प्राधिकरण द्वारा भवन मानचित्र स्वीकृत करवाए जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है। विधि शाखा की रिपोर्ट अनुसार प्रश्नगत भूखण्ड पर कोई वाद लम्बित नहीं है। प्रश्नगत भूमि के भू—उपयोग परिवर्तन हेतु जारी विज्ञप्ति के क्रम में पत्रावली अनुसार कोई आपत्ति प्राप्त नही हुई है।

निर्णय :— समिति द्वारा प्रकरण में विचार विमर्श कर सर्वसहमति से यह निर्णय लिया गया कि आवेदित भूखण्ड का आवासीय से सामान्य व्यवसायिक प्रयोजनार्थ भू—उपयोग परिवर्तन निम्नलिखित शर्तों पर अनुज्ञेय किया गया :

1. प्रश्नगत भूमि के सामने स्थित सड़क के मार्गाधिकार हेतु सड़क के मध्य से 60 फीट भूमि सड़क हेतु छोड़ते हुए शेष भूमि का भू—उपयोग परिवर्तन अनुमत किया जावेगा।
2. यह केवल मात्र आवेदित भूमि के भू—उपयोग परिवर्तन की स्वीकृति है, इस स्वीकृति को आवेदित भूमि के स्वामित्व के प्रमाण के रूप में नहीं माना जावेगा।

निदेशक आयोजना
अजमेर विकास प्राधिकरण,
अजमेर

3. प्रश्नगत भूमि पर किसी भी प्रकार के निर्माण से पूर्व भवन विनियम 2020 अजमेर रीजन में निर्धारित मानदण्डों अनुसार निर्माण स्वीकृति प्राप्त की जानी होगी।

4. प्रार्थी द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि अनाधिकृत निर्माण हटा लिया जायेगा। उक्त अनाधिकृत निर्माण हटाये जाने की शर्त पर यह अनुमति दी जाती है।

एजेण्डा संख्या : 11 (पंचशील नगर योजना)

विषय : प्राधिकरण की पंचशील नगर योजना के भूखण्ड संख्या ए–6 क्षेत्रफल 484.55 व.ग. भूखण्ड का आवासीय से व्यवसायिक प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन हेतु आवेदक श्रीमती मालती तलरेजा पत्नी डॉ. श्री अशोक तलरेजा, डॉ. श्री मनोज हिरानी पुत्र श्री पेरूमल व श्री मनीष कुमार रामानी पुत्र श्री टीकम दास

आवेदित भूखण्ड का प्राधिकरण द्वारा आवासीय पट्टा क्रमांक 10297 दिनांक 08.08.2005 को जारी है। पूर्व में जारी स्थल मानचित्र अनुसार भूखण्ड की गहराई 89 फीट है। प्रश्नगत भूखण्ड मास्टर प्लान व स्वीकृत योजना की 100 फीट चौड़ी सड़क पर स्थित है। उक्त भूखण्ड मास्टर डवलपमेंट प्लान 2033 अजमेर रीजन एवं जोनल डवलपमेंट प्लान (जोन–1) 2033 अनुसार मिश्रित भू–उपयोग हेतु आरक्षित है। मास्टर प्लान के प्रावधान अनुसार मिश्रित भू–उपयोग में आवासीय, व्यवसायिक, संस्थागत आदि गतिविधियां अनुज्ञेय की गयी हैं।

प्रश्नगत भूखण्ड पर कनिष्ठ अभियन्ता की मौका रिपोर्ट अनुसार भूखण्ड रिक्त है। विधि शाखा की रिपोर्ट अनुसार प्रश्नगत भूखण्ड पर कोई वाद लम्बित नहीं है। प्रश्नगत भूमि के भू–उपयोग परिवर्तन हेतु जारी विज्ञप्ति के क्रम में पत्रावली अनुसार कोई आपत्ति प्राप्त नही हुई है।

निर्णय :– समिति द्वारा प्रकरण में विचार विमर्श कर सर्वसहमति से यह निर्णय लिया गया कि आवेदित भूखण्ड का आवासीय से सामान्य व्यवसायिक प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन निम्नलिखित शर्तों पर अनुज्ञेय किया गया :

1. प्रश्नगत भूमि के सामने स्थित सड़क के मार्गाधिकार हेतु सड़क के मध्य से 50 फीट भूमि सड़क हेतु छोड़ते हुए शेष भूमि का भू–उपयोग परिवर्तन अनुमत किया जावेगा।

2. यह केवल मात्र आवेदित भूमि के भू–उपयोग परिवर्तन की स्वीकृति है, इस स्वीकृति को आवेदित भूमि के स्वामित्व के प्रमाण के रूप में नहीं माना जावेगा।

3. प्रश्नगत भूमि पर किसी भी प्रकार के निर्माण से पूर्व भवन विनियम 2020 अजमेर रीजन में निर्धारित मानदण्डों अनुसार निर्माण स्वीकृति प्राप्त की जानी होगी।

एजेण्डा संख्या : 12 (पंचशील नगर योजना)

विषय : प्राधिकरण की पंचशील नगर योजना के भूखण्ड संख्या ए–5 क्षेत्रफल 484.55 व.ग. भूखण्ड का आवासीय से व्यवसायिक प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन हेतु आवेदक श्री डॉ. अशोक तलरेजा पुत्र श्री नामामल तलरेजा, श्री चिराग हिरानी पुत्र श्री मनोज हिरानी व श्रीमती नेहा रामानी पत्नी श्री अमित रामानी

निदेशक आयोजना
अजमेर विकास प्राधिकरण,
अजमेर

आवेदित भूखण्ड का प्राधिकरण द्वारा आवासीय पट्टा क्रमांक 10510 दिनांक 13.01.2006 को जारी है। पूर्व में जारी स्थल मानचित्र अनुसार भूखण्ड की गहराई 89 फीट है। प्रश्नगत भूखण्ड मास्टर प्लान व स्वीकृत योजना की 100 फीट चौड़ी सड़क पर स्थित है। उक्त भूखण्ड मास्टर डवलपमेंट प्लान 2033 अजमेर रीजन एवं जोनल डवलपमेंट प्लान (जोन–2) 2033 अनुसार मिश्रित भू–उपयोग हेतु आरक्षित है। मास्टर प्लान के प्रावधान अनुसार मिश्रित भू–उपयोग में आवासीय, व्यवसायिक, संस्थागत आदि गतिविधियां अनुज्ञेय की गयी हैं।

प्रश्नगत भूखण्ड पर कनिष्ठ अभियन्ता की मौका रिपोर्ट अनुसार भूखण्ड रिक्त है। विधि शाखा की रिपोर्ट अनुसार प्रश्नगत भूखण्ड पर कोई वाद लम्बित नहीं है। प्रश्नगत भूमि के भू–उपयोग परिवर्तन हेतु जारी विज्ञप्ति के क्रम में पत्रावली अनुसार कोई आपत्ति प्राप्त नही हुई है।

निर्णय :– समिति द्वारा प्रकरण में विचार विमर्श कर सर्वसहमति से यह निर्णय लिया गया कि आवेदित भूखण्ड का आवासीय से सामान्य व्यवसायिक प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन निम्नलिखित शर्तों पर अनुज्ञेय किया गया :

1. **प्रश्नगत भूमि के सामने स्थित सड़क के मार्गाधिकार हेतु सड़क के मध्य से 50 फीट भूमि सड़क हेतु छोड़ते हुए शेष भूमि का भू–उपयोग परिवर्तन अनुमत किया जावेगा।**
2. **यह केवल मात्र आवेदित भूमि के भू–उपयोग परिवर्तन की स्वीकृति है, इस स्वीकृति को आवेदित भूमि के स्वामित्व के प्रमाण के रूप में नहीं माना जावेगा।**
3. **प्रश्नगत भूमि पर किसी भी प्रकार के निर्माण से पूर्व भवन विनियम 2020 अजमेर रीजन में निर्धारित मानदण्डों अनुसार निर्माण स्वीकृति प्राप्त की जानी होगी।**

<u>एजेण्डा संख्या : 13 (राजस्व ग्राम माकड़वाली)</u>

विषय : राजस्व ग्राम माकड़वाली के खसरा संख्या 405, 406, 407 में स्थित भूखण्ड संख्या 1 क्षेत्रफल 156.56 व.मी. भूखण्ड का आवासीय से व्यवसायिक प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन हेतु आवेदक श्री सौरभ पाटनी पुत्र स्व. श्री नवनीत कुमार पाटनी।

आवेदित भूखण्ड का प्राधिकरण द्वारा आवासीय पट्टा क्रमांक 2795 दिनांक 14.01.2013 को जारी है। पूर्व में जारी स्थल मानचित्र अनुसार भूखण्ड की गहराई 50 फीट है। प्रश्नगत भूखण्ड मास्टर प्लान की 120 फीट चौड़ी सड़क पर स्थित है। उक्त भूखण्ड मास्टर डवलपमेंट प्लान– 2033 अनुसार मिश्रित भू–उपयोग हेतु आरक्षित है। मास्टर प्लान के प्रावधान अनुसार मिश्रित भू–उपयोग में आवासीय, व्यवसायिक, संस्थागत आदि गतिविधियां अनुज्ञेय की गयी हैं।

प्रश्नगत भूखण्ड पर कनिष्ठ अभियन्ता की मौका रिपोर्ट अनुसार भूखण्ड रिक्त है। विधि शाखा की रिपोर्ट अनुसार प्रश्नगत भूखण्ड पर कोई वाद लम्बित नहीं है। प्रश्नगत भूमि के भू–उपयोग परिवर्तन हेतु जारी विज्ञप्ति के क्रम में पत्रावली अनुसार कोई आपत्ति प्राप्त नही हुई है।

निर्णय :– समिति द्वारा प्रकरण में विचार विमर्श कर सर्वसहमति से यह निर्णय लिया गया कि आवेदित भूखण्ड का आवासीय से सामान्य व्यवसायिक प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन निम्नलिखित शर्तों पर अनुज्ञेय किया गया :

उपनिदेशक आयोजना
अजमेर विकास प्राधिकरण,
अजमेर

अजमेर विकास प्राधिकरण,अजमेर

1. प्रश्नगत भूमि के सामने स्थित सड़क के मार्गाधिकार हेतु सड़क के मध्य से 60 फीट भूमि सड़क हेतु छोड़ते हुए शेष भूमि का भू–उपयोग परिवर्तन अनुमत किया जावेगा।
2. यह केवल मात्र आवेदित भूमि के भू–उपयोग परिवर्तन की स्वीकृति है, इस स्वीकृति को आवेदित भूमि के स्वामित्व के प्रमाण के रूप में नहीं माना जावेगा।
3. प्रश्नगत भूमि पर किसी भी प्रकार के निर्माण से पूर्व भवन विनियम 2020 अजमेर रीजन में निर्धारित मानदण्डों अनुसार निर्माण स्वीकृति प्राप्त की जानी होगी।

यह बैठक कार्यवाही विवरण श्रीमान अध्यक्ष महोदय, अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर से अनुमोदित की गयी।

24/12/2021

(पी.आर बेनीवाल)
निदेशक (आयोजना)
अजमेर विकास प्राधिकरण,
अजमेर

क्रमांक : अ.वि.प्रा. / प.3 / नि.शा / 2021 / 980-987 **दिनांक : 24-12-2021**

प्रतिलिपि :–

1. निजी सचिव, माननीय अध्यक्ष महोदय, अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर।
2. अतिरिक्त निजी सचिव, आयुक्त महोदय, अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर।
3. सचिव, अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर।
4. उपायुक्त (उत्तर / दक्षिण / किशनगढ़ / पुष्कर) अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर।
5. निदेशक विधि, अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर।
6. रक्षित पत्रावली।

24/12/2021

(पी.आर बेनीवाल)
निदेशक (आयोजना)
अजमेर विकास प्राधिकरण,
अजमेर